भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †3672
उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026
19 श्रावण, 1948 (शक)

जनजातीय क्षेत्रों में खेलों का विकास

†3672. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के सबसे पिछड़े जनजातीय / वन क्षेत्रों के युवाओं की प्रतिभा को निखारने तथा इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोई कार्ययोजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देशभर के जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे प्रतिभा से संपन्न हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण वे राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने में असमर्थ हैं;

(ग) क्या जनजाति बहुल जिलों में खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के जनजातीय क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता के बावजूद तीरंदाजी, फुटबॉल, कबड्डी आदि खेलों के लिए कोई खेल का मैदान / स्टेडियम नहीं है; और

(ङ) क्या सरकार की इस दिशा में कोई योजना है और यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आवंटित की जा रही है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खेल प्रतिभाओं की पहचान, उनका पोषण एवं विकास, खेल अवसंरचना के सृजन तथा सर्वाधिक पिछड़े जनजातीय/वन क्षेत्रों में खेल प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का होता है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके इन प्रयासों में सहायता

करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है:

i. खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
ii. राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता;
iii. अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों को नकद प्रोत्साहन;
iv. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार
v. मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन
vi. खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम
vii. राष्ट्रीय खेल विकास निधि;
viii. भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन; और
ix. राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर)।

उपर्युक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही खेलो इंडिया स्कीम एक मांग-आधारित स्कीम है, जिसके अंतर्गत खेल अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता तथा स्कीम के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है।

खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जिले सहित देशभर में विभिन्न खेल सुविधाओं, जैसे खेल अवसंरचना, खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी), खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) और खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियों (केआईएए) तथा एथलीटों और कोचों सहित खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) का विवरण, मंत्रालय के डैशबोर्ड https://dashboard.kheloindia.gov.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहित देशभर में संचालित विभिन्न खेल सुविधाओं, जैसे राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई), खेल प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी), एसटीसी के विस्तार केंद्रों तथा इन सुविधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एथलीटों का विवरण डैशबोर्ड https://sportsauthorityofindia.nic.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।
